रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 6 फरवरी, 2021 ई० (माघ 17, 1942 शक संवत्) [संख्या 6

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	191–218	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	149–166	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	13–16	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	187–220	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

पदोन्नति / तैनाती

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 03 / 86-2021-06(अधि) / 08—श्री कुलदीप कुमार, सहायक भूवैज्ञानिक, मुख्यालय, लखनऊ को, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में भूवैज्ञानिक के रिक्त पद (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) पर पदोन्नति प्रदान करते हुये प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 53 / 86-2021-06(अधि) / 08—श्री सत्य नारायण पटेल, सहायक भूवैज्ञानिक, मुख्यालय, लखनऊ को, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में भूवैज्ञानिक के रिक्त पद (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) पर पदोन्नति प्रदान करते हुये मुख्यालय, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 54 / 86-2021-06(अधि) / 08—श्री राम प्रवेश सिंह, सहायक भूवैज्ञानिक, मुख्यालय, लखनऊ को, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में भूवैज्ञानिक के रिक्त पद (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) पर पदोन्नति प्रदान करते हुये मुख्यालय, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 55 / 86-2021-06(अधि) / 08—श्री अखिलेश कुमार राय, सहायक रसायनज्ञ, मुख्यालय, लखनऊ को, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में रसायनज्ञ के रिक्त पद (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) पर पदोन्नति प्रदान करते हुये मुख्यालय, लखनऊ में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
डॉ0 रोशन जैकब,
सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

01 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 रा0क0-1-1381 / 11-2020-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित वाणिज्य कर अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
		सर्वश्री–
1	2957	राजेन्द्र सिंह यादव (दण्डादेश दिनांक 11 फरवरी, 2019 के विरुद्ध मा0 अधिकरण के समक्ष नि0या0सं0 1285/2020 राजेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में योजित याचिका में अन्तिम निर्णय के अधीन चयन वर्ष 2018-19 में उल्लिखित रिक्ति के सापेक्ष)
2	3104	नरेन्द्र यादव
3	3107	वरूण कुमार
4	3110	विनोद कुमार
5	3112	प्रवेश कुमार
6	3113	कु0 अनीता
7	3116	राकेश कुमार कनौजिया
8	3118	हरिवंश शेखर
9	3119	ताराचन्द्र
10	3124	सन्दीप कुमार
11	3125	सचिन कुमार
12	3127	हेमन्त कुमार पंकज
13	3128	सुश्री अंकिता कुमार
14	3130	सुश्री मुन्नी

10 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1397/11-2020-24/2020–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है–

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	1823	श्री महेश गिडवानी
2	1826	श्री संतोष कुमार बाजपेई

07 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1409/11-2020-24/2020–वाणिज्य कर विभाग के श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता-II, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1409-1/11-2020-24/2020–वाणिज्य कर विभाग के श्री परमानन्द, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (टैक्स आडिट), मेरठ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1409-2/11-2020-24/2020–वाणिज्य कर विभाग के श्री आनन्द कुमार तिवारी, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1409-3/11-2020-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मनोज कुमार सिंह-I, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1428/11-2020-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
1	2146	श्री सुनील कुमार वर्मा-II
2	2235	श्री नृपेन्द्र सिंह सेंगर
3	2243	श्री राजेश कुमार राय
4	2293	सुश्री नमिता लाम्बा (विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 3389/2020 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन)
5	2302	श्री मुकेश कुमार (निर्देश याचिका संख्या 1071/2012 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन)
6	2315	श्री राम भवन
7	2340	श्रीमती सुषमा सिंह (रिट याचिका संख्या 12063/एस0एस0/2020 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन)
8	2344	श्री पारस भान सिंह
9	2348	श्री संजय कुमार शर्मा
10	2364	श्री पुनीत अग्निहोत्री
11	2365	श्री संजीव कुमार-V
12	2366	श्री संजीव कुमार सिंह-II
13	2367	श्री सुभेश तिवारी
14	2368	डा0 संजीव पाठक
15	2369	श्री विवेक कुमार उपाध्याय
16	2371	श्री प्रशान्त सक्सेना
17	2372	श्री धीरज कुमार राय
18	2373	श्री मधुकर तिवारी
19	2376	श्री गौरव अग्रवाल
20	2378	श्री अश्वनी कुमार मिश्र
21	2379	श्री अभिषेक गुप्ता
22	2380	श्री दीपक कुमार

1	2	3
23	2381	श्री शिव सहाय
24	2382	श्री अनुराग चौधरी
25	2384	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह
26	2385	श्री अभिषेक कुमार चतुर्वेदी
27	2386	श्री आशित कुमार सिंह
28	2387	श्री जितेन्द्र कुमार-IV
29	2388	श्री दुर्गा प्रसाद सिंह
30	2390	श्री पारितोष कुमार मिश्र
31	2393	श्री राजीव त्यागी
32	2394	श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी
33	2395	श्री मनीष कुमार
34	2396	श्री कृपाल अग्निहोत्री
35	2397	श्री योगेश द्विवेदी
36	2398	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र
37	2399	श्री अखिलेश कुमार सिंह-II
38	2401	श्री अभिषेक प्रताप सिंह चौहान
39	2402	श्री दिनेश कुमार-III
40	2403	श्री रामेश्वर दुबे
41	2405	श्री प्रभास कुमार
42	2406	श्री आशीष कुमार सक्सेना
43	2407	श्री अनमोल कपूर
44	2409	सुश्री अंजू उपाध्याय
45	2411	श्री अरूण सिंह
46	2412	श्री राकेश प्रताप राव
47	2413	डा0 आलोक कुमार श्रीवास्तव
48	2415	श्री विक्रम अजीत
49	2416	श्री सुनील कुमार

15 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1449/11-2020-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
1	2417	श्री जयेश कुमार सिंह
2	2418	श्री विवेक कुमार मिश्र-II

तैनाती / स्थानान्तरण

22 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1469-1 / 11-2020-14 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राम कृष्ण पाण्डेय, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, बरेली को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), वाणिज्य कर, जौनपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1469 / 11-2020-14 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री कमलेश्वर प्रसाद वर्मा, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, कानपुर-प्रथम को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), वाणिज्य कर, मिर्जापुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1470 / 11-2020-24 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, (वि0अनु0शा0) रेन्ज-ए, कानपुर को स्थानान्तरित करते हुये ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, गोण्डा के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 राज्य कर-1-1470-1 / 11-2020-24 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विजयानन्द पाण्डेय, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0) रेन्ज-सी, गाजियाबाद को स्थानान्तरित करते हुये ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, झांसी के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1470-2 / 11-2020-24 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री जय शंकर सहाय, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0), झांसी को स्थानान्तरित करते हुये ज्वाइन्ट कमिश्नर (उ0न्या0का0), वाणिज्य कर, प्रयागराज के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-1470-3 / 11-2020-24 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अमरेश त्रिपाठी, ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (कार्पोरेट सेल), गाजियाबाद-प्रथम को स्थानान्तरित करते हुये ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, वाराणसी-द्वितीय के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

प्रोन्नति

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-03 / 11-2021-28 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सिद्धार्थ शंकर शाही (ज्येष्ठता क्रमांक-2419), असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 राज्य कर-1-02 / 11-2021-24 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
1	1829	श्री श्रीपाल
2	1830	श्री पारस नाथ सिंह-I
3	1831	श्री अजीत सिंह
4	1832	श्री शिव कुमार प्रसाद
5	1834	श्री अरविन्द कुमार दोहरे

सं0 राज्य कर-1-01/11-2021-30/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुरेश चन्द्र सिंह बिसेन, जिला आमोद एवं पणकर अधिकारी (परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर अधिकारी) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

तैनाती

06 जनवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-37/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-1/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विजय प्रताप यादव, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-सी, लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-2/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजय मेहरोत्रा, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-3/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रेम शंकर शर्मा, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, कानपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-4/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-बी, गोरखपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-5/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संत कुमार जैन, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, सीतापुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-6/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री महेश गिडवानी, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, मुरादाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-7/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री श्रीपाल, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-सी, कानपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-8/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पारस नाथ सिंह-I, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, अयोध्या के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-9/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अजीत सिंह, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, जोन-गोरखपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-10/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शिव कुमार प्रसाद, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-11/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरविन्द कुमार दोहरे, नवपदोन्नत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, जोन-प्रथम, वाराणसी के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-12/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री हंस कुमार, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-बी, गोरखपुर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सेल), वाणिज्य कर, गाजियाबाद-द्वितीय के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-13/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सर्वजीत, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर सम्भाग-ए, अयोध्या को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रेन्ज-ए, प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-14/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री ललित मिश्रा, ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्या0 कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, नोएडा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-15/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजा राम गुप्ता, ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, अयोध्या को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रेन्ज-ए, कानपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-16/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री धर्मवीर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, नोएडा को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रेन्ज-सी, गाजियाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-17/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरूण कुमार सिंह-III, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-सी, कानपुर को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, झांसी के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-18/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, प्रयागराज को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सेल), वाणिज्य कर, गाजियाबाद-प्रथम के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-19/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती मधुरिमा मित्रा, ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, बरेली के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-37-20/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री परमानन्द, ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, मेरठ को ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रेन्ज-ए, गाजियाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

पदोन्नति

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1/2021/18/सत्रह-म-2021-5(1)/94 टी0सी0-1—श्री राज्यपाल महोदय, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्रीमती आशा वर्मा को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 139(iv)/09/एस-2/पी/2019-20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति

के आधार पर सहायक निदेशक, मत्स्य, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये उन्हें जनपद मेरठ में एतद्द्वारा तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित, 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 3/2021/20/सत्रह-म-2021-5(1)/94 टी0सी0-1—श्री राज्यपाल महोदय, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 139(iv)/09/एस-2/पी/2019-20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक, मत्स्य, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये उन्हें जनपद चित्रकूट में एतद्द्वारा तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित, 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 2/2021/19/सत्रह-म-2021-5(1)/94 टी0सी0-1—श्री राज्यपाल महोदय, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री राजेलाल को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 139(iv)/09/एस-2/पी/2019-20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक, मत्स्य, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये उन्हें जनपद आजमगढ़ में एतद्द्वारा तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित, 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 4/2021/19/सत्रह-म-2021-5(1)/94 टी0सी0-1—श्री राज्यपाल महोदय, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री हरी चन्द्र वर्मा को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 139(iv)/09/एस-2/पी/2019-20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक, मत्स्य, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये उन्हें जनपद मुरादाबाद में एतद्द्वारा तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित, 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

11 जनवरी, 2021 ई0

सं0 33/81-1-2021-9/2011—मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक ई0शा0-463/10-1-14(3)(Vol-3), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित प्रान्तीय वन सेवा के अधिकारी वर्ष 2020 में अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माने जायेंगे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री—		
1	महावीर प्रसाद	12-12-1960	31-12-2020
2	कमल कुमार आरोरा	20-11-1960	30-11-2020

आज्ञा से,
डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी,
विशेष सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (448)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-448 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000346393) (ओ0बी0सी0) श्री आशीष कुमार पटेल पुत्र श्री भगवत सिंह पटेल, निवासी-287, पाठकपुरा, जेल रोड, उरई, जनपद-जालौन, उ0प्र0-285001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इस्किल, झांसी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, झांसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (295)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-295 पर अंकित

(रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000148092) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती स्मृति श्रीवास्तवा पत्नी श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, निवासी-विमला सदन, निकट कुष्ठ सेवा केन्द्र, बहराइच रोड, गोण्डा, उ0प्र0-271003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सदाशिव, गोण्डा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोण्डा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (223)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-223 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000180308) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अर्चना यादव पुत्री श्री सुबेदार सिंह यादव, निवासी-सी-96-ई, मयूर विहार कालोनी, फरीदीनगर, पोस्ट-सीमैप, इन्दिरानगर, लखनऊ-226015 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओझागंज, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (336)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-336 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000050733) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अभिषेक यादव पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, निवासी-182, बापू नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला-एटा, उ0प्र0-207001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तबालपुर, कासगंज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (215)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-215 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000323684) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री हिना खातून पुत्री श्री अब्बास अली खान, निवासी-सी0के0 45/8ए, सराय हड़हा, थाना-चौक, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बरावनानकार, सिद्धार्थनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (472)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-472 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000137509) (ओ0बी0सी0) सुश्री प्रीति पुत्री श्री राजबहादुर सिंह, निवासी-ग्रा0 व पो0-बागड़पुर, जिला-बिजनौर, उ0प्र0-246725 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दीनापुर, अलीगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (236)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-236 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000209001) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री मेघा गुप्ता पुत्री श्री राजीव गुप्ता, निवासी-935, मेघा गारमेन्टस, नगरपालिका के सामने, शमसाबाद, आगरा, उ0प्र0-283125 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं

यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बसई मोहम्मदपुरी, फिरोजाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (385)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-385 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000111195) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती प्रियंका शुक्ला पत्नी श्री पंकज तिवारी, निवासी-तिवारी मेडिकल हाल, बस स्टैण्ड के सामने, पनवाड़ी, जिला-महोबा, उ0प्र0-210429 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुरैनी, हमीरपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

15 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (520)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-520 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000041823) (अनुसूचित जनजाति) सुश्री सीमा वर्मा पुत्री श्री तार बाबू वर्मा, निवासी-पुराना जे0पी0 नगर, गढ़वार रोड, बलिया, उ0प्र0-277001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोरहा, कासगंज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (393)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-393 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000253844) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री संजीव शर्मा, K-91, कृष्णा गली नं0-7, आदर्श मोहल्ला, मौजपुर, दिल्ली-110053 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अरनियां, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (514)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-514 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000306881) (ओ0बी0सी) सुश्री ज्योति साहू पुत्री श्री अयोध्या प्रसाद साहू, निवासी-128/13, डी-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0-208011 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली,

1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सठिया घनवार, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (455)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-455 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000296964) (अनुसूचित जनजाति) श्री ऋषम कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार, 161, ग्राम व पोस्ट-खेमादेई, जिला-देवरिया, उ0प्र0-274508 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जौरामनराखन, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (380)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-380 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000146517) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री गौरव गोयल, निवासी-127/504, W-1, साकेत नगर, थाना-किदवई नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0-208014 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जाडौल, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

30 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (97)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-97 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000370497) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री प्रतीज्ञा चौहान पुत्री श्री महिपाल सिंह चौहान, निवासी-2138, जनता फ्लैट, जी0टी0बी0 इन्क्लेव, दिल्ली-110093 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पानीगॉव, मथुरा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मथुरा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-2

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4144/96-आयुष-2-2020-1039/99 टी0सी0–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1997) की धारा 21 के साथ पठित औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 67-क में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2761/71-4-2001-1039/99 टी0सी0, दिनांक 18 अगस्त, 2001 को अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के भाग-6 'क' के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक

से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सम्बन्धित मण्डल के लिये उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर होम्योपैथिक औषधियों के विक्रय के लाइसेंस हेतु अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 4144/96-Ayush-2-2020-1039/99 T.C., dated November 19, 2020.

No. 4144/96-AYUSH-2-2020-1039/99 T.C.

November 19, 2020

In exercise of the powers conferred under rule 67-A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 2761/71-4-2001-1039/99 T.C., dated August 18, 2001, the Governor is pleased to appoint Chief Medical Superintendent as the Licensing Authorities within their respective jurisdiction for the purposes of Part VI-A of the aforesaid Rules, from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,
PRASHANT TRIVEDI,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 फरवरी, 2021 ई० (माघ 17, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

18 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1861/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	भेंड	444	0.202 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम भेंड नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1862/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	मकुन्दपुरा	110/233	0.117	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम मकुन्दपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनकों उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,46,250.00 (एक लाख छियालीस हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1863/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	हर्रायपुर	510	0.429 में से 0.160	श्रेणी 5-2/कृषि योग्य भूमि पुरानी परती (परती कदीम)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम हर्रायपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,44,000.00 (एक लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1864/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	दहेल खण्ड मु0	0.478 मि0	0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम रायपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना दहेल खण्ड मु0

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1865/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	सलैया खुर्द	141	हेक्टेयर 0.372 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि–नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम सलैयाखुर्द नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,48,000.00 (दो लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1866/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	धौरपुर	305	0.376 में से 0.160	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि–नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम धौरपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,52,000.00 (एक लाख बावन हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1867/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	गंगथरा	8	0.275 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम गंगथरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,32,000.00 (दो लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1868/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	कनासी	163	0.121	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि–नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम कनासी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,51,250.00 (एक लाख इंक्यावन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1869/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	जगनपुर	139	0.113 में से 0.075	6-2/ अकृषिक भूमि–स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम जगनपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,12,500.00 (एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1870/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	धनौरा	530	0.138	श्रेणी 5-1/ कृषि योग्य भूमि–नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम धनौरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,86,300.00 (मु0 एक लाख छियासी हजार तीन सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1871/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	बदउवां	40	हेक्टेयर 0.405 में से 0.180	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम बदउवां नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,43,000.00 (दो लाख तैतालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1872/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	कैंथी	243	0.251 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम कैंथी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1873/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	लालपुरा	5	0.429 में से 0.160	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो वेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम लालपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1874/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	ईश्वरी	273/307	0.619 में से 0.160	5-1/ कृषि योग्य भूमि–नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम ईश्वरी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1875/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	रूपपुरा	19	5.548 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम रूपपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,44,000.00 (एक लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1876/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	पचीपुरी	36	1.416 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम पचीपुरी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,48,000.00 (दो लाख अढ़तालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1877/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	छिरावली	681	0.454 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम छिरावली नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,40,000.00 (मु0 दो लाख चालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा

10 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 633/टी0आर0/स0सु0/2019–पंजीकृत स्वामी श्री शिवेन्द्र कुमार पाठक पुत्र श्री कैलाश नारायण पाठक, निवासी 24/220, नगला बैनी प्रसाद, गांधीनगर, आगरा की वाहन संख्या UP-80 BT-9685 (Taxi) की फिटनेस दिनांक 06 जून, 2015 को समाप्त होने तथा कर दिनांक 01 जून, 2015 से जमा न करने के कारण नोटिस संख्या

406/टीआर/नोटिस/2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 में निहित देय कर धनराशि 1,26,720.00 एवं अर्थदण्ड रु0 1,08,504.00 कुल धनराशि रु0 2,35,224.00 जारी किया गया। उक्त नोटिस के क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को प्रस्तुत प्रार्थना के साथ साक्ष्यों को संलग्न करते हुये अवगत कराया गया कि वाहन दिनांक 05 मई, 2015 को एटा–शिकोहाबाद रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी तथा थाना रिजौर, जिला एटा में एफ0आई0आर0 दिनांक 07 मई, 2015 दर्ज एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय, आगरा के परिवाद संख्य 13/2016 में वाहन से संबंधित इश्योरेंस कं0 को उक्त कम्पनी का टोटल लॉस रु0 4,25,000.00 दिये जाने के मा0 न्यायालय द्वारा 30 जून, 2019 को पारित किये गये आदेश की छायाप्रति को संलग्न करते हुये वाहन के प्रति उक्त कर के नोटिस को समाप्त करने एवं पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त से स्पष्ट है कि वाहन दिनांक 05 मई, 2015 को एटा–शिकोहाबाद रोड पर दुर्घटनाग्रस्त होने एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में वाहन अस्तित्व में नहीं है। ऐसी दशा में उक्त वाहन के प्रति बकाया कर देय नहीं बनता है।

उपरोक्त के आलोक में मैं, अनिल कुमार सिंह, कराधान अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, आगरा, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22-क के साथ पारित परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2014 पत्र संख्या 982/जी0पी0टी0 में दी गयी प्रक्रिया दृष्टिगत कर के वसूली योग्य न होने के विषय में संतुष्ट हूं व वाहन के कर को अदेय घोषित करता हूं। साथ ही मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP-80 BT-9685 (Taxi) के के पंजीयन चिन्ह निरस्त करता हूं। यदि भविष्य में उक्त वाहन किसी भी श्रोत से प्राप्त सूचना/संचालन करती हुये पायी जाती हैं तो उक्त आदेश के द्वारा किये गये अदेय घोषित कर देयकर की श्रेणी में आयेगा।

अनिल कुमार सिंह,
कराधान अधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0),
मोटर वाहन विभाग, आगरा।

बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

11 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 213(4)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	बांदा	हटेटीपुरवा	हटेटीपुरवा	श्रेणी-5-3-ङ बंजर खाता संख्या 725	1481/2	हेक्टेयर 1.925 में से 0.300	नगरपालिका परिषद, बांदा को सेप्टेज मैनेजमेंट सॉल्यूशन हेतु प्रस्तावित एफ0एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, बांदा।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

प्रभार प्रमाण-पत्र

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 ओ-17/2020—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 की प्रोन्नति आदेश संख्या 27/2020-1539/छः पु0से0-1-2020-03डी0पी0सी0 (एचएल)/2020, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-ए (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13 के रु0 1,31,100-2,16,600) में कार्यरत इस जनपद में नियुक्त श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद बस्ती को चयन वर्ष 2020-21 में विभागीय चयन समिति बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-14) (रु0 1,44,200-2,18,200) में प्रोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त के अनुपालन में दिनांक 12 नवम्बर, 2020 (अपरान्ह) में कार्यभार ग्रहण किया गया।

रवीन्द्र कुमार सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक,
बस्ती।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

27 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 561/आठ-एल0ए0सी0—पुर्न0 (2020-21)—शासनादेश संख्या 68/3-2 (6) 1979-रा0-1, 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-1, 1951) की धारा-177 की उपधारा (6) द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16 (1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, जिलाधिकारी, ललितपुर के अधिकार में ली गई थी।

उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर उक्त तालिका के कालम-9 में अंकित प्रविष्टि ''राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत अवसंरचना (स्पोर्टस काम्प्लैक्स) की स्थापना हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी, ललितपुर को सशर्त निःशुल्क'' को संशोधित करते हुये उक्त के स्थान पर ''युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश'' अंकित किये जाने हेतु आदेश देता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	ललितपुर	तालबेहट	बांसी	जखौरा	भू0प्र0स0 जखौरा	1941/1	0.239	युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
						1942/1	0.190	
						1943	0.555	
						1940	1.446	
						किता-4	2.430	

28 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 566/आठ-एल0ए0सी0–पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/16(1) 1973/राजस्व-1, 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28/741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	पाली	बालाबेहट	बालाबेहट ग्राम सभा बालाबेहट	100/4	हेक्टेयर 0.303	5-3-ङ बंजर	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र नाराहट की स्थान हेतु (30 वर्ष के लिये पट्टे पर, बाद में 30–30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये 90 वर्ष के पट्टे पर)

सं0 567/आठ-एल0ए0सी0–पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 ई0 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	पाली	ललितपुर	करमरो ग्राम समाज करमरो	574	हेक्टेयर 0.162	5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश को जाखलौन–विरधा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 568/आठ-एल0ए0सी0–पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 ई0 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55

द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	नाराहट ग्राम समाज नाराहट	2422	0.250	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश को गौना–नाराहट ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

राजस्व विभाग

10 जनवरी, 2020 ई0

सं0 342/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधीक्षक, जिला कारागार, ललितपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन–ग्राम बुढ़वार में 4,500 बन्दियों की निरुद्धी क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के स्थायी निर्माण हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-ललितपुर, परगना-ललितपुर, ग्राम-बुढ़वार में कुल 3.109 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–उच्च सुरक्षा कारागार के स्थायी निर्माण हेतु मात्र 01 गांव की भूमि का अर्जन किया जा रहा है, उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से कोई भी कृषक भूमिहीन नहीं हो रहा है व भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा उच्च सुरक्षा हेतु कारागार का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है एवं कारागार के निर्माण से समाज में सामाजिक सुरक्षा बनी रहेगी, कैदियों को बेहतर सुविधायें भी प्राप्त होंगी, जेल में बैरकों की क्षमता बढ़ेगी। कारागार के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही भूमि रकवा 3.109 हे0 से ग्रामवासियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–आवश्यकता नहीं है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बुढ़वार	14-मि0	0.809
				134/2	0.243
				134/3	0.729
				134/4	0.607
				134/6	0.405
				135	0.032
				136	0.284
				योग . .	**3.109**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर ललितपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

योगेश कुमार शुक्ल,
जिला कलेक्टर,
ललितपुर।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

January 10, 2020

No. 342/8/S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 3.109 hectares of land in required in the Village-Budwar, Pargana-Lalitpur, Tehsil-Lalitpur, District-Lalitpur is required for public purpose, namely, project 4500 Prisoner High Security Jail through-Superintendent District Jail Lalitpur (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 19-11-2019.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows : For the construction of the high security Jail, the land of only one village is being acquired. No villagers will going to be landless in above acquisition and no families are being displaced anywhere in such acquisition of land. The high security jail is being constructed for public intrest there will be no threat to social security in society from the Construction of the Jail, increased number of barracks will provide extra facilities to prisoners. The acquisition of land 3.109 hectares will not have any adverse effect on the life of villagers.

4. A total of No families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under : NILL

Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families : NO REQUIREMENT

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose:

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Lalitpur	Lalitpur	Budwar	14 M	0.809
				134/2	0.243
				134/3	0.729
				134/4	0.607
				134/6	0.405
				135	0.032
				136	0.284
			TOTAL . . 7 Plots		**3.109**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

YOGESH KUMAR SHUKLA,
Collector, Lalitpur.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 फरवरी, 2021 ई० (माघ 17, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 07 जनवरी, 2021 ई0
17 पौष, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0–वि0स0-80/2017–**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री श्रीचन्द्र अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द्र को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री श्रीचन्द्र को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री श्रीचन्द्र को दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री श्रीचन्द्र द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री श्रीचन्द्र को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 18 अगस्त, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी किरन देवी को दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को श्री श्रीचन्द्र द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामीला किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री श्रीचन्द्र द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्रीचन्द्र विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री श्रीचन्द्र, निवासी ग्राम हुसैनपुर, तहसील सिकन्दरा राऊ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *January*, 2021 / 17th *Pausha*, 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/80/2017–WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Shrichandra, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Shrichandra, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Bill Vouchers were not presented in respect of items of election expenditure.

(ii) Bank Statement was not submitted ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Shrichandra, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served on Shri Shrichandra on 29th December, 2019; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2020 that Shri Shrichandra, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th August, 2020, which was served on his on his wife Kiran Devi on 4th September, 2020 through the District Election Officer, Hathras at the address provided by the candidate in the nomination papers ; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Shrichandra has neither rectified the above mentioned defects nor any

representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Shrichandra has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Shrichandra, Resident of Village-Husainpur, Tehsil Sikandra Rao, District-Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–28 निर्वाचन–06-02-2021–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 फरवरी, 2021 ई० (माघ 17, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0बिलग्राम/2020-21–शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204(ज0)/90 न0वि0अनु0-9, उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-94-204(ज0)/90 न0वि0अनु0-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 एवं नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम समिति की बैठक दिनाक 20 सितम्बर, 2019 के संकल्प संख्या 01 तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम ने अपनी सीमा के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण नियमावली बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय महत्व दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर स्वकर निर्धारण नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका बिलग्राम, हरदोई ''भवन एवं सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण नियमावली'' नियमावली, वर्ष 2019 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड/समिति''** का तात्पर्य नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई के बोर्ड/समिति से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) **''नगर पालिका''** से तात्पर्य नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई से है।

(च) **''नगर पालिका की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) **''भवन/भूखण्ड''** का तात्पर्य नगर पालिका की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भूखण्डों आदि से होगा अर्थात वह सभी अहाते उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित हैं, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

(ज) **''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक''** का तात्पर्य नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक कर समाहर्ता से है :

1—उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 8 सन् 2011 उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

2—(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 128 का प्रतिस्थापन) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 128 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

अर्थात —

(आरोपित किये जाने वाले कर) ''128 (1) इस अधिनियम तथा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 285 के उपबंधों के अधीन रहते हुये नगर पालिका निम्नलिखित कर आरोपित करेगी, अर्थात्—

(एक) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर,

(दो) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर

(तीन) भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, तो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगर पालिका के लिये इस निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूरी के भीतर स्थित हो,

(चार) शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण करने, हटाने और निस्तारण करने के लिए सफाई कर,

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त नगरपालिका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित में से काोई कर अधिरोपित कर सकती हैं,

अर्थात्—

(एक) ऐसे व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किये जाते हों, और जिन्हें नगर पालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिनसे उक्त सेवाओं पर विशेष भार पड़ रहा हो।

(दो) ऐसे व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर, जिनमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित हैं, जो वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।

(तीन) नाट्यशाला कर, जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद का कर है।

(चार) नगर पालिका के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर।

(पांच) सफाई कर।

(छः) नगर पाालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर।

(सात) विज्ञापनों पर कर, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों।

(आठ) नगर पालिका की सीमा के भीतर चलाये जाने वाले यानों और अन्य वाहनों या उसकी सीमा में बांधी जाने वाली नावों पर कर।

(नौ) सुधार कर।

(3) नगरपालिका करों का निर्धारण और उद्ग्रहण इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों व उपविधियों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी, जिसके लिए राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपण करने की शक्ति न होगी, प्रतिबन्ध यह है कि कोई नगरपालिका जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्गृहीत कर रही थी, उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है, जब तक कि संसद द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न बनाया जाय।

3—(धारा 129 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 129 में, शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दस)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दो)' रख दिये जायेंगे।

4—(धारा 129-क का बढ़ाया जाना) मूल अधिनियम की धारा 129 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर उद्ग्रहण) 129-क भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर का उद्ग्रहण नगर पालिका सीमा में, स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा—

(क) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप में प्रयुक्त भवन या भूमि,

(ख) शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय, धार्मिक या धर्मार्थ प्रांगण कर मुक्त रहेंगे, परन्तु यदि इनका उपयोग शैक्षणिक धमार्थ कार्य से विरत रहकर अन्य व्यवसायिक कार्य तथा शादी.बारात समारोह आदि के प्रयोग में लाने हेतु इसकी स्वीकृति सम्बन्धित संस्थाओं के संस्थाओं के संस्थापकों द्वारा नगर पंचायत से लेनी होगी, इस आशय का एक रजिस्टर सम्बन्धित संस्थान को रखना होगा। जिसका अवलोकन संस्थाओं द्वारा नगर पंचायत को प्रत्येक दशा में कराना होगा। इससे होने वाली आय 12.5 प्रतिशत धनराशि शिक्षणेत्तर कार्य हेतु प्रयुक्त होने के लिए कर/शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

(ग) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हों,

(घ) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहाँ के जहाँ भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हैं,

(ङ) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन, जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्डड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो और,

(च) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे पांच वर्ष की भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो या जहां उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो।

5—(धारा 130 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130 में शब्द और उपधारा (1) के खण्ड (ग्यारह) या (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (चार) या उपधारा (2) के खण्ड (छः) में रख दिये जायेगे।

6—(धारा 130-ख का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130-ख में शब्द और अंक उपधारा (1) खण्ड (दस) (दस-क) (ग्यारह) और (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (2), (तीन), (चार) और उपधारा (क) के खण्ड (छः) में रख दिये जायेंगे।

7—(धारा 131 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 131 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द और अंक 'उपधारा (1)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (2)' में रख दिये जायेंगे।

8—(धारा 133 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 133 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक 'यदि प्रस्तावित कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) के अन्तर्गत हों, के स्थान पर शब्द पूर्ववर्ती धराओं के अधीन प्रस्तावों और आपत्तियों की प्राप्ति पर' रख दिये जायेंगे।

9—(धारा 138 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दस) और (ग्यारह)' के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) और उपधारा (2) के खण्ड (छः) में रख दिये जायेंगे।

10—(धारा 140 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा 140 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

'140-(1) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य (वार्षिक मूल्य की परिभाषा) (क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अनावासिक भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर से नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले, गुणक से गुणा करने पर प्राप्त व 12 गुना मूल्य से है।

(ख) खण्ड (क) उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसी कि नगर पालिका के अधिशासी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किट दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल के चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जायें :

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ नगरपालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गयी हो, अत्याधिक हो, वहां नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

स्पष्टीकरण–एक वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न में से की जायेगी–

(एक) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(दो) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(तीन) बालकनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(चार) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(पांच) स्नानागार, शौचालयों, द्वारा मण्डल और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–दो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिए किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया या युक्ति युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(2) जहां नगरपालिका इस प्रकार संकल्प करें वहां सम्पत्ति करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य।

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के माामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 30 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपधारा ( ) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनाधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड

(ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो जो उपधारा (1) खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

(ग) यदि आवासीय भवन का कोई भाग व्यवसायिक प्रयोग में है, तो उसका कर निर्धारण व्यवसायिक उपयोग में स्थित भाग का वास्तविक किराया अथवा उक्त क्षेत्र में लागू आवासीय दर की पांच गुना दरें लागू होंगी।

(घ) औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्रीज) के कर निर्धारण हेतु उक्त क्षेत्र में लागू वास्तविक मासिक किराये का तीन गुना कबर्ड एरिया पर तथा खाली जमीन पर सामान्य आवासीय दरें लागू होगी, परन्तु 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित इण्डस्ट्रीज की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु0 5.00 (कबर्ड एरिया) से कम न होगी तथा 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क तथा स्थित इण्डस्ट्रीज की भूमि की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु 2.00 से कम न होगी।

(ङ) यदि यदि आवासीय भवन का कोई भाग किराये पर दिया गया है, तो उसका कर निर्धारण स्पष्टीकरण 2 (ख) के अनुसार किया जायेगा, परन्तु यदि किराये की दर इस बिन्दु में वर्णित मूल्य से अधिक है, तो उस भाग का कर निर्धारण किराये के आधार पर किया जायेगा।

(च) आकस्मिक कर निर्धारण वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू माना जायेगा चाहे आकस्मिक कर निर्धारण की नोटिस वर्तमान वित्तीय वर्ष से किसी भी माह में जारी की जाये।

11–(धारा 141 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा-141 के स्थान पर निम्न धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्–

(कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना) 141-नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार

समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।' (स्वनिर्धारित द्वारा भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर जमा करने का विकल्प) 141-क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में यह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये, जमा कर सकता है। (कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमि के विवरणों का प्रस्तुत किया जाना) 141-ख-1 वार्षिक किराया मूल्य के प्रायोजनों के लिए प्रत्येक भवन व भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाये।

(2) बिना समुचित कारण के उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल कोई व्यक्ति यथा विहित शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। (धारा-142 का प्रतिस्थापन)

12—मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

(सूची का प्रकाशन) 142-नगरपालिका या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार धारा-141 के अधीन तैयार की गयी सूची को प्रकाशित करेगा। (धारा-143 का प्रतिस्थापन)

13—मूल अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

(प्रस्तावित दरों और सूची पर आपत्तियां)

'143-नगर पालिका का इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण करेंगा।' (धारा-144 का प्रतिस्थापन)

14—मूल अधिनियम की धारा 144 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— (सूची का अभिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा) उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर के अभिप्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार अभिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा।?

(3) जैसे ही सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सर्वजनिक सूचना द्वारा इसकी घोषणा की जायेगी। (धारा-147 का संशोधन)

15—मूल अधिनियम की धारा 147 में शब्द 'नगर पालिका' जहां कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द 'नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी' रख दिये जायेंगे। (धारा-149 का संशोधन)

16—मूल अधिनियम की धारा 149 में उपधारा (3) में शब्द 'नगर पालिका' के स्थान पर 'नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी' रख दिये जायेंगे।

17—जल की दरें—(क) नगरपालिका द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारण वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर देय होगा।

(ख) निर्धारित वार्षिक मूल्य जलकर अधिरोपण अधिनियम की धारा 129 के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा तथा समय-समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 128 (3) के अनुसार जल अधिरोपण हेतु नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम के लिए विहित अर्द्धव्यास 200 मीटर निर्धारित होगा।

18–अन्य प्राविधान–(1-क) अधिनियम की धारा 140 (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में इस नियमावली की धारा 3 में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जायेगी।

(ख) अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र व उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 141 ख (1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण-पत्र क तथा ख प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अधिनियम की धारा 141 ख (2) के अन्तर्गत प्रपत्र में दर्शाई गयी कोई सूचना/विवरण मिथ्या पाये जाने पर या किसी तथ्य को छिपाने पर आवेदक रु0 1,000.00 के न्यूनतम अर्थदण्ड का भागीदार होगा। भवन में छत पड़ जाने, भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा अध्यासन करने निर्धारण हेतु प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा 50 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में रु0 1,00.00, 200.00 वर्ग मीटर तक के लिये रु0 1,000.00 तथा 400.00 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु रु0 5,000.00 से 15,000.00 तक अर्थदण्ड देय होगा साथ ही 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में उक्तानुसार देय अर्थदण्ड का 05 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी देय होगा। किसी भी आपत्ति स्थिति में अधिशासी अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 141 ख (13) के प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिनयम की धारा 141 ख

(2) के अन्तर्गत लगाये गये शास्ति (दण्ड) पर अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार प्रशमन की कार्यवाही कर सकते है।

(च) सेवारत/सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मचारियों/विकलांगों/अन्धे व्यक्तियों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन का सामान्य कर शासनादेश के अधीन होगा।

(छ) पेट्रोल पम्पों पर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, वर्तमान में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यवसायिक भवनों का मूल्यांकन गृहकर लागू होगा। (न0प0 अधि0 1916 धारा 148)

(झ) अधिरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी से भी की जा सकेगी। जिसका समायोजन अध्यासी भवन स्वामी में कर सकेगा।

(ञ) उपरोक्त नियमावली/उपविधियों परिपेक्ष्य में शासनादेश जो समय-समय पर निर्गत होंगे, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नगर पालिका अधि0 की धारा 299 प्रभावी होगी।

प्रपत्र कब भरना होगा–(2-क) जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो, इसके तीन सप्ताह के भतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है जो उसके तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भू-स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

19–वसूली प्रक्रिया तथा बिल/नोटस तामील–(1-क) अधिनिय की धारा 166, 168, 169, 173 (क) में निहित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ख) इस धारा के खण्ड (क) तथा इस उपविधि में वर्णित किसी भी प्रकार के बिल/सूचना नोटिस का तामील अधिनियम की धारा 303 तथा 304 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ख) के अतिरिक्त करों की वसूली तथा सूचना नोटिसों के तामील मे अन्य कार्यवाही नगर पालिका बिलग्राम, हरदोई के अधिनियम, 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(घ) कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किस्त में 01 अप्रैल से बकाया होगा। इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते हैं।

(ङ) अग्रिम रूप में जमा की गयी धनराशि अथवा करों संबंधी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगी।

(2-क) मांग बिल का पूर्ण भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर करना होगा जिसमें समयसीमा के अन्तर्गत भुगतान करने पर वित्तीय वर्ष की राशि पर 30 जून तक भवन कर एवं जलकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, 30 जून के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च तक) करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर/जलकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगी।

(ग) किसी भवन/भूमि के निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करों का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा नहीं किया गया जाता है, तो अधिनियम की धारा 149 के अनुसार भुगतान का दायित्व वास्तिवक अध्यासी/किरायेदार का होगा जिसका समायोजन भुगतानकर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा धारा 149 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।

(घ) वार्षिक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कोई प्रकरण निस्तारण हेतु नगर पालिका कार्यालय में लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकते है।

20–(क) अधिनियम की धारा-145 (1) के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में धारा 140 से 144 तक में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा-148 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देते हुये बाध्य होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 158 (1) के प्राविधानों के अनुसार नगर पंचायत के अनुसार किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण अथवा धारा-147 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(घ) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ग) के अन्तर्गत नगर पंचायत का कोई भवन स्वामी/अध्यासी निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है तो अधिनियम की धारा 158 (2) के अनुसार कर अधीक्षक या जैसी स्थिति हों की आख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

21–कर मुक्त तथा छूट–(क) अधिनियम की धारा 129 क के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले भूमि/भवनों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्ग्रहण में नियमानुसार छूट देय होगी।

(ख) नगरपालिका बिलग्राम, हरदोई के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगर पालिका के स्वयं के प्रयोग में होंगे कर मुक्त होंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत अनध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट तभी प्रदान की जायेगी जब अनध्यासन की सूचना लिखित रूप में नियमानुसार नगर पालिका कार्यालय को प्राप्त करायी गयी हो।

(घ) इस धारा के खण्ड (ग) के अधीन छूट प्राप्त भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा यदि अधिनियम की धारा 152 (1) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन के दिनांक निर्धारण देय कर की दस गुनी धनराशि या पचास रुपये दोनों में जो अधिक हो के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 157 के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान किया जाना बोर्ड के अधीन होगा।

22–विशेष छूट/प्रोत्साहन–मोबिलाइज व अर्थ विचारधारा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के साथ न्यूनतम दोहन व अधिकतम उपयोग तथा सम्पोषणी विकास की विकास की अवधारणा से परिचयात्मक स्तर पर जन सरोकारों से जोड़ने के लिए नगरपालिका बिलग्राम, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वायत्व निकायों के

अध्याय-9 (क) अनुच्छेद 12 अन्तर्गत अधिसूचित 18 विषयों में से शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक जल संसाधनों के अधिकतम संचयन एवं न्यूनतम दोहन को स्वीकार करते हुए शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को संरक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए करों में निम्नलिखित छूट का प्रावधान करती है–

(1) भवन स्वामी के अनाच्छादित क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 पेड़ लगे होने पर जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 फिट हो तथा पेड़/पौधा स्वस्थ हो तो 03 प्रतिशत छूट स्वकर निर्धारण पर देय होगी। यह छूट इन पेड़/पौधों के रख-रखाव पर भवन स्वामी द्वारा खर्च किया जायेगा।

(2) ऐसे भू-खण्ड जो इस नियमावली द्वारा कर अधिरोपण की श्रेणी में हैं उस भू-खण्ड पर कम से कम 50 पेड़ जो कम से कम 10 फिट ऊंचाई में हो उस पर अधिरोपण कर का 10 प्रतिशत छूट देगी।

(3) ऐसे भवन स्वामियों को जो वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर अधिकत जल का प्राकृतिक संचयन करेंगे, उनके भवन पर अधिरोपित कर पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह समस्त छूटें जो क्रम सं0 01, 02, व 03 में उल्लिखित हैं, वार्षिक छूट की श्रेणी में आयेगी।

23–नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया धारा 147 के अन्तर्गत–(क) अधिनियम की धारा 147(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किया जाने वाला संशोधन जो किसी करारोपित भवन/भूमि पर निर्धारण करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सूचना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पंचायत कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन/भूमि के स्वामी के धारा 148 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक का वास्तविक स्वामी हो। तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(ग) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त वसीयतनामा, बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(घ) दाखिल खारिज अथवा धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया सम्पूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाये। प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा।

(ङ) किसी भवन/भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 147(1) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147(2) की 30 दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा।

24–किसी भवन/भूमि के स्वामित्व/अध्यासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन सम्बन्धी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगरपालिका या अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होने तक प्रभावित रहेगा।

25–नामान्तरण शुल्क/विलम्ब शुल्क नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(1) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण (दाखिल-खारिज) प्रार्थना-पत्र नगरपालिका बिलग्राम, हरदोई द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किये जायेंगे। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के संशोधन हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र को हिबानामा/वसीयत एवं न्यायालय से जारी निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे। उन पर आवेदक के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) शुल्क सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो निम्न प्रकार देय होगा–

(क) **विलेख निष्पादन**

[अ] रु0 01 से 1,00,000 तक रु0 1,000.00।

[ब] रु0 1,00,000 से या इससे ऊपर प्रति लाख रु0 1,000.00। अर्थात् सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत।

(ख) **विलेख के अतिरिक्त सरकारी मालियत के अनुसार 2 प्रतिशत शुल्क देय होगा।**

हिबानामा/वसीयत/वरासतन/न्यायालयी निर्णय–दाखिल रु0 500 विलम्ब शुल्क तीन मास (90 दिन) के अन्दर दिये गये प्रार्थना–पत्र कोई भी विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क में छूट का अधिकार कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। शुल्क पैरा 25 के 'ख' के अनुसार देय होगी।

26–उपरोक्त नियम 5 के साथ यदि कोई भवन/भू-खण्ड को अथवा उसके अंश को विलेखों द्वारा या अन्य हेतु हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 120 दिन के अन्दर ग्रहणकर्ताओं अपने नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज/अंकित करायेगा, ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 5.00 जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अधिभार अधिशासी अधिकारी अथवा माप कर सकेंगे।

27–**भूल सुधार**–अधिनियम की धारा 147(1) के खण्ड (छ) तथा धारा 165 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर, जारी की गयी नोटिस अथवा काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपया पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

कार्यालय, नगरपालिका बिलग्राम, हरदोई

प्रपत्र 'क'

आवासीय सम्पत्तियों का स्व कर निर्धारण प्रपत्र

फार्म नं0.....

नोट–कृपया इस प्रपत्र को भरने से पहले स्व कर निर्धारण पुस्तिका का अध्ययन अवश्य कर लें।

भवन/भूखण्ड निर्माण वर्ष.....वार्ड का नाम.....संख्या.....

1–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का नाम श्री/श्रीमती.....मो0 नं0.....

2–भवन/भूखण्ड/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

3–भवन/भूखण्ड/अध्यासी की पत्नी का नाम.....

4–भवन/भूखण्ड/अध्यासी की अवस्थिति का पता.....

5–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का स्थाई पता.....

6–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का स्थाई पता.....

7–भूखण्ड पर निर्मित भवन का कुल आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया).....

(अ) तलधर (बेसमेंट) (वर्गफुट में).....

(ब) भूतल (वर्गफुट में).....

(स) प्रथम तल (वर्गफुट में).....

(द) द्वितीय तल (वर्गफुट में).....

(य) तृतीय तल (वर्गफुट में).....

(र) अन्य तल (वर्गफुट में).....

टिप्पणी–कृपया निम्न में जो भी सही हों उसमें ( ) सही का निशान लगायें।

1–भवन के निर्माण की प्रकृति

(अ) आर0सी0सी0 छत सहित अच्छा मकान ( )

(ब) अन्य पक्का भवन ( )

(स) कच्चा मकान ( )

2–भवन अवस्थित है

(1) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )

(2) 15 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )

(3) 10 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )

(4) अनाच्छादित क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 पेड़ होने पर जिनकी ऊंचाई 10 फिट हो पेड़-पौधे स्वस्थ हो वार्षिक कर पर 2 प्रतिशत छूट। (पेड़ों की संख्या) ( )

(5) वर्षा जल संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि है तो वार्षिक कर पर 2 प्रतिशत छूट। हां/नहीं ( )

3–भवन के फर्श की प्रकृति

(1) पत्थर/टाइल्स/मुजाइक युक्त फर्श ( )

(2) पक्का फर्श ( )
(3) कच्चा फर्श ( )

4–भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।
(1) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(2) 15 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(3) 10 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(4) अनाच्छादित क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 पेड़ होने पर जिनकी ऊंचाई 10 फिट हो पेड़-पौधे स्वस्थ हो वार्षिक कर पर 2 प्रतिशत छूट।
(पेड़ों की संख्या) ( )
(5) वर्षा जल संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि है तो वार्षिक कर पर 2 प्रतिशत छूट। हां/नहीं ( )

5–भवन सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई × चौड़ाई)
(क) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरित आयाम (वर्गफुट में) ( )
(ख) बालकनी, कौरीछोर, रसोई, भण्डार गृह का आन्तरित आयाम (वर्गफुट में) ( )
(ग) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(i) भवन का कुल कार्पेट एरिया
क + ख/2 + ग/4
(ii) भवन का वार्षिक किराया मूल्य (ARV) = 12 ×) अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × कार्पेट एरिया का 80 प्रतिशत।
(टिप्पणी स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा अच्छादित क्षेत्र कार्पेट एरिया का भाग नहीं होगा।)

6–भू-सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई × चौड़ाई)
(क) वार्षिक किराया मूल्य यदि भूमि खाली है.....
12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × भूमि का क्षेत्रफल
(ख) व्यवसायिक उपयोग की स्थिति में भूमि का वार्षिक किराया मूल्य (ARV).....
12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × भूमि का क्षेत्रफल
(ग) क + ख × निर्धारित दर.....

7–स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का वार्षिक किराया मूल्य धारा 140 (2) 'क' में उल्लेखित छूट देने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1) 10 वर्ष से कम का मकान (ARV) वार्षिक मूल्य-30 प्रतिशत × 0.75
(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष का मकान (ARV) वार्षिक मूल्य-30 प्रतिशत × 0.70
(3) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान (ARV) वार्षिक मूल्य-40 प्रतिशत × 0.60

8–किराये/व्यवसायिक होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 140 (2) ख में यथा उल्लेखित वृद्धि करने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1) 10 वर्ष से कम का मकान वार्षिक मूल्य- × 25%
(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष का मकान वार्षिक मूल्य- × 12.50%
(3) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान वार्षिक किराया मूल्य 40 प्रतिशत × यथावत्

11–सामान्य कर गृहकर (A.R.V.) का 10 प्रतिशत
जल कर (A.R.V.) का 5 प्रतिशत

क्र0 सं0	कर	राशि	
		रु0	पै0
1	गृहकर/भूखण्डों		
2	जलकर		
3	योग		

कुल योग–

कुल योग शब्दों में

जांच किया गया अवलोकित/अनुमत
टैक्स कलेक्टर/लिपिक अधिशासी अधिकारी

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई

आवेदक का नाम–

विषय–नामान्तरण
दिनांक.....
क्रमांक.....

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई

स्टेशनरी मूल्य रु0 50
रसीद संख्या.....
क्र0सं0.....

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) हेतु आवेदन-पत्र
उ0प्र0 नगरपालिका (पंचायत) अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अन्तर्गत

सेवा,

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम

विषय : भवन के नामान्तरण (दाखिल–खारिज) के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी भवन/प्लाट संख्या.....स्थित मोहल्ला.....के सम्पूर्ण/जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपने नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता/चाहती है। उक्त भवन का अब तक का गृहकर पूरा जमा है। प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारण नामान्तरण शुल्क नगर पंचायत कोष में तत्काल जमा करने को तैयार हैं।

नामान्तरण का कारण	साक्ष्य
1–दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर	1–उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2–पंजीकृत विक्रयनामें के आधार पर	रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
3–वसीयत	3–वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलगन है।
4–पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड)	4–गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
5–पारिवारिक समझौते के आधार पर	5–खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न हैं।
6–न्यायालय के आदेशानुसार	6–न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
7–हिब्बानामे के आधार पर	7–शपथ-पत्र संलग्न है।

अतः भवन संख्या.....स्थित मोहल्ला.....वार्ड नं0.....पर उपरोक्त में से टिक किये गये कारण के आधार पर दर्ज नाम.....
.....को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी.....
.....का नाम दर्ज किया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में बिल्कुल सत्य हैं इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नामान्तरण (दाखिल-खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृह कर आदि अपने नाम से जमा कर सके।

संलग्नकः–

प्रार्थी/प्रार्थिनी
हस्ताक्षर–
दिनांक–
पूरा नाम–
पता–
फोन/मोबाइल नम्बर–

हबीब अहमद
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 22/न0पा0परि0पिहानी/उपविधि/2020-2021—प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 कि शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक 18 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या 408/नौ 9-10-63ज/95 टी0सी0 दिनांक 22 फरवरी, 2010 एवं निदेशालाय स्थानीय निकाय उ0प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या 8/872 दिनांक 22 मार्च, 2010 के अनुपालन में प्रशासक महोदय, नगरपालिका परिषद्, पिहानी द्वारा सीमा में स्थित भवनों/भुखण्डों स्वतः करों को निर्धारित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 नगरपालिका (संशोधित) अधिनियम, अधिनियम संख्या 08 सन् 2011 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 यथा संशोधित में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, पिहानी में अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत स्थित भवनों/भूखण्डों अथवा दोनों पर जलकर, गृहकर अधिरोपण एवं वसूली हेतु नियमावली/उपविधियां निम्नवत प्राख्याप्ति करते हुये इस निमायवली से प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां/सुझाव दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को "दैनिक जागरण" समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आमंत्रित किये गये थे, निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस पालिका में प्राप्त नहीं हुआ।

अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

स्वकर निर्धारण नियमावली

1—नियमावली/उपविधियों का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पिहानी जलकर, गृहकर अधिरोपण एवं वसूली नियमावली/उपविधियां, 2011 व अधिनियम संख्या 08 सन् 2011 उपरोक्त से।

2—अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, पिहानी/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रशासक अथवा प्रभारी अधिकारी कहलायेगा, जैसी स्थिति हो।

3—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, पिहानी से है जो कि अधिनियम संख्या 8 के अनुसार कर निर्धारण अधिकार होगा। अधिशासी अधिकारी कर निर्धारण की शक्तियां अधीनस्थ कर निरीक्षक/कर एवं राजस्व निरीक्षण/राजस्व निरीक्षक को प्रतिनिहित करके करों का अधिरोपण भी करवा सकेगा।

4—भवनों का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमा में स्थित भवनों एवं नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-1 में वर्णित परिभाषा धारा 7 में उल्लिखित (यथा संशोधित) से है।

5—आपत्तियों का निस्तारण एवं निराकरण संशोधित अधिनियम, 08 धारा 143 के उपबन्धों के अधीन अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6—कर निर्धारण सूचियों/पंजिकाओं में भवन/भूखण्डों के स्वामियों के नामों एवं निर्धारित जलकर/गृहकर में परिवर्तन, संशोधन सम्बन्धी प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण नगरपालिका अधिनियम, 08 धारा 143 के उपबन्धों के अधीन अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

7—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 129 के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका परिषद्, पिहानी द्वारा अपने किसी भी प्रकार के पेयजल संसाधनों में सर्वसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाले स्तम्भ से 200 मीटर अर्द्धव्यास की परिधि में स्थित भवनों पर जलकर का अधिरोपण किया जायेगा, जैसा कि पूर्व से ही है और उन भवनों/भूखण्डों स्वामियों को जलकर का भुगतान कराना होगा। जलकर के भुगतान के बाद ही जलमूल्य का समायोजन हो सकेगा। जल सम्भरण एवं जल परिव्यय निमायवली, 2008 के नियम 10(1)(2) छूट सम्बन्धी समायोजन निरस्त समझा जाये।

8—उपरोक्त नियम 5 के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी भवन/भूखण्ड को अथवा उसके अंश को विलेखों द्वारा या अन्य कारणों के होते हुये हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 90 दिन के अन्दर ग्रहणकर्ता अपने नाम नगरपालिका अभिलेखों में दर्ज अंकित करायेगा।

ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) मात्र जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अधिभार अधिशासी अधिकारी कम अथवा माफ कर सकेगा (नगरपालिका अधिनियम, 1916 धारा 141 (ख) 2)।

9–निर्धारित तिथि तक प्रपत्र 'ख' जमा न करने पर रुपये 5,000.00 (पांच हजार रुपये) तक अर्थदण्ड देना होगा।

10–जलकर, गृहकर का भुगतान भवन/भूखण्ड स्वामी-अध्यासी द्वारा माह सितम्बर तक करने पर जलकर में 10 प्रतिशत तथा गृहकर में 05 प्रतिशत की छूट प्राप्त करेगा। तत्पश्चात कोई भी छूट देय न होगी। वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद बकाया करों भुगतान भवन/भूखण्ड स्वामी-अध्यासी को 20 प्रतिषत की दर से सरचार्ज देय होगा। जिसमें भुगतान जमा न करने पर प्रतिवर्ष सरचार्ज में स्वतः वृद्धि होती रहेगी और बिल उपलब्ध कराने के छः माह के बाद बकाये की वसूली भू राजस्व के बकाये की भांति अधिशासी अधिकारी कराने हेतु।

11–नगर पालिका परिषद समय-समय पर बकायेदारों की सूची का प्रकाशन करेगी। तदोपरान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173-क के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

12–शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय, धार्मिक या धर्मार्थ प्रांगण कर से मुक्त रहेंगे। परन्तु यदि इनका उपयोग शैक्षणिक, धर्मार्थ कार्य से विरत रहकर अन्य व्यावसायिक कार्य यथा शादी बारात, समारोह आदि के प्रयोग में लाने हेतु इसकी स्वीकृति सम्बन्धित संस्थाओं के संस्थापकों, संचालकों द्वारा नगरपालिका से लेनी होगी और इस आशय का एक रजिस्टर सम्बन्धित संस्थान को रखना होगा। जिसका अवलोकन संस्थाओं द्वारा नगरपालिका परिषद, पिहानी को प्रत्येक दशा में पर कराना होगा इससे होने वाली आय का 12.05 प्रतिशत धनराशि शिक्षणेत्तर कार्य हेतु प्रयुक्त होने के लिये कर/शुल्क के रूप में जमा करना होगा (नगरपालिका अधिनियम, 1616 धारा 129-क)।

13–सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन या भवन का सामान्य कर शासनादेशों के अधीन होगा।

14–पेट्रोल पम्पों पर जलकर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, वर्तमान में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यावसायिक भवनों का मूल्याकंन एवं जलकर, गृहकर का आरोपण सामान्य व्यावसायिक भवनों का मूल्यांकन एवं जलकर, गृहकर का आरोपण सामान्य व्यावसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा।

15–भवनों के नवनिर्माण/परिवर्तन की दशा में 15 दिनों के अन्दर नगरपालिका को लिखित सूचित रूप से सूचित करना होगा, अन्यथा की दशा में उस वर्ष कर पूर्ण जलकर एवं गृहकर लागू होगा (नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 148)।

16–भवनों के नवनिर्माण/परिवर्धन परिर्वतन की दशा में प्रत्येक तीन माह के अन्तराल से आकस्मिक कर निर्धारण तत्समय के सर्किल रेट पर किया जायेगा। जिसका भुगतान भवन/भूस्वामी/अध्यासी को करना होगा।

17–अधिरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी से भी की जा सकेगी। जिसका समायोजन भवन स्वामी से कर सकेगा।

18–उपरोक्त नियमवाली/उपविधियों के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश जो समय-समय पर निर्गत होंगे, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 प्रभावी होगी।

19–**रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के मकान**–रेन्ट कन्ट्रोल 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले भवनों पर नगरपालिका परिषद्, पिहानी प्रत्येक करों गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही किया जायेगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी। (नगर पालिका अधिनियम, 140(1) स्पष्टीकरण दो)

20–छूट–स्वामी द्वारा अध्ययासित ऐसा कोई भवन जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित किया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक तथा उसके स्वामित्व में नगरपालिका परिषद्, पिहानी में कोई अन्य भवन न हो गृहकर से मुक्त होगा। (नगरपालिका अधिनियम, 1916) की धारा 129-क (च)

21–प्रपत्र कब कब भरना होगा–(क) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भवन के कारपेट एरिया का भूमि का या क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्धन किया जाता हो तो उसके लिये तीन सप्ताह के अन्दर यथास्थिति भवन/भूमि स्वामी द्वारा अथवा परिवर्धन किया जाता हो तो उसके लिये तीन सप्ताह के अन्दर यथास्थिति भवन/भूमि स्वामी द्वारा अथवा अध्यसित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(ग) गलत सूचना देने पर रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) तक आर्थिक दण्ड देय होगा।

(घ) जिन भवन/भूमि स्वामियों/अध्यसियों द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

स्वामी का अध्यासी का नवीनतम फोटो

फार्म 'क' का प्रारूप

नगरपालिका परिषद्, पिहानी (हरदोई)

प्रपत्र 'क'

सम्पत्ति कर स्वतः कर निर्धारण प्रपत्र

1–भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....वार्ड संख्या.....निर्माण वर्ष.....जल संयोजन संख्या.....

2–स्वामी/अध्यासी का नाम.....

3–स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

4–स्वामी/अध्यासी की पत्नी का नाम.....

5–भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....

6–स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

7–स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....

नोट–कृपया भवन/भूमि से जो भी सम्बन्धित को उसके खाने में ( ) का निशान/संख्या लिखे।

2–भवन का निर्माण–1–मंजिलो की संख्या

2–कमरों की संख्या

3–भवन अवस्थित है।

(1) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन

(2) 15 फुट से 10 फुट तक की चौड़ाई मार्ग पर भवन

(3) 10 फुट से कम से चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन

4–भवन के निर्माण की प्रकृति

(1) पक्का भवन/आर0सी0सी0/आर0सी0 छत सहित भवन

(2) अर्द्धपक्का भवन

(3) कच्चा भवन

5. भवन के फर्श की प्रकृति

(1) पत्थर/टाइल्स/मुजाइक युक्त फर्श

(2) पक्का फर्श

(3) कच्चा फर्श

6–भूमि(यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नही है) अवस्थित हैः–

(1) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन

(2) 15 फुट से 10 तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन

(3) 10 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन

7–भवन सम्बन्धित ब्यौरा–(लम्बाई ग चौड़ाई)

(क) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)

.....

(ख) बालकनी, कॉरीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम(वर्ग फुट में)

.....

(ग) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम(वर्ग फुट में)

....

(1) भवन का कुल कारपेट एरिया–

क + ख + ग =......................................

2 4

(2) भवन वार्षिक किराया मूल्य (ARV)=12 x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर ग कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत

....

टिप्पणी–स्नानगृह, शौचालयों, पेटिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

8–भूमि सम्बन्धित ब्यौरा–(लम्बाई x चौड़ाई)

....

(क) वार्षिक किराया मूल्य यदि भूमि खाली है।

12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × भूमि का क्षेत्रफल..

(ख) व्यावसायिक उपभोग स्थिति में भूमि का वार्षिक किराया मूल्य (ARV)...

12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × भूमि का क्षेत्रफल...

(ग) क+ख × 0.80=..

9–स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का वार्षिक किराया मूल्य धारा 140 (2) क में उल्लिखित छूट देने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)

(1) 10 वर्ष से कम का मकान – वार्षिक किराया मूल्य x 0.75 =

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का मकान – वार्षिक किराया मूल्य x 0.675=

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान – वार्षिक किराया मूल्य x 0.75 =

10–किराये/व्यावसायिक होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 140 (2) ख में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात् (जो लोग न हो उसे काट दें)

(1) 10 वर्ष से कम का मकान – वार्षिक किराया मूल्य x 1.25 =

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का मकान – वार्षिक किराया मूल्य x 1.125=

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान – वार्षिक किराया मूल्य यथावत=

11–**सामान्य कर**–गृहकर (ARV) का 10 प्रतिशत एवं जलकर 05 प्रतिशत

(1) भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर.........................

(2) भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 05 प्रतिशत जलकर................................

....

क्र0सं0	कर	राशि	
		रु0	रु0
1	गृहकर		
2	जलकर		
3	योग		

कुल योग–

कुल योग शब्दों में–

जांचकर्ता– जांच किया गया अवलोकित/अनुमत

लिपिक लिपिक कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी

स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने उल्लिखित शर्ते एवं सूचनायें सावधानीपूर्वक पढ़ी है। जो मुझे मान्य है। मैने इस प्रपत्र में दिये गये विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नही है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो भी निर्णय लिया जायेगा, मुझे मान्य होगा।

दिनांक........................

हस्ताक्षर...

नाम..

पूरा पता.......................................

सत्यापन

मै एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि, स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्योरे, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थायी पता.....

दिनांक .....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता–माता का नाम.....

पूरा पता.....

अभिस्वीकृत

जिस व्यक्ति से प्रपक क प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

(1) स्वामी अध्यासी का नाम.....

(2) स्वामी अध्यासी के पिता का नाम.....

(3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....

(4) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....

(5) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....

(6) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, पिहानी द्वारा निर्धारित मासिक किराया

प्रति वर्ग फुट (रुपये में)

भवन की प्रकृति⇨	पक्का भवन R.C.C./R.B.छत			अन्य पक्का भवन			कच्चा भवन			भूमि के सम्बन्ध में
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फर्श की प्रकृति⇨ सड़क की चौड़ाई⇩	पत्थर/टाइल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	पत्थर/टाइल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	पत्थर/टाइल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	खाली प्लाट
क (15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	4.50	4.00	2.00	4.00	2.50	1.00	3.00	2.00	0.80	0.80
ख 15 फुट से 10 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन	3.60	3.50	1.75	3.00	2.00	0.90	2.50	1.50	0.60	0.60
ग 10 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थिति भवन	3.00	2.75	1.50	2.50	1.80	0.80	2.00	1.00	0.50	0.40

स्वतः कर (टैक्स) की गणना कैसे करें

1–स्वकर निर्धारण कार्य नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त करें।

2–फार्म भरने से पूर्व फार्म को पूर्ण रूप से पढ़े ।

3–भवन/भूखण्ड का नम्बर (नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त करें)

4–भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करे–

(अ) कमरे, ड्रांइगरूम, आच्छादित बरामदे, की पूरी माप करें, लम्बाई × चौड़ाई

(ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कारीडोर, लम्बाई × चौड़ाई का 50 प्रतिशत

(स) गैराज लम्बाई × चौड़ाई का 25 प्रतिशत

(द) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको जीने से आच्छादित भवन की माप नही की जायेगी।

5–निर्धारित मासिक किराया दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करें, इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक किराया (ARV) प्राप्त होगा।

6–आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत होगी।

7–यदि आप भवन में स्वयं रहते है तो वार्षिक मूल्य (ARV) में निम्न छूट को घटाये–

(क) दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में (ARV) का –25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनों (ARV) का (–) 32.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में (ARV) का (–) 40 प्रतिशत

8–यदि भवन किराये पर उठाया गया है तो निम्नानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य (ARV) में जोड़े।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा। (ARV+25 प्रतिशत)

(ख) दस वर्ष से अधिक बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत होगा। (ARV+12.5 प्रतिशत)

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

9–भवन में कई मंजिल होने की दशा में प्रत्येक मंजिल का वार्षिक किराया मूल्य उपरोक्त विधि से ही ज्ञात किया जायेगा।

सामान्य कर

10–वार्षिक किराया मूल्यांकन (ARV) का गृहकर 10 प्रतिशत एवं जलकर 5 प्रतिशत होगा।

11–निर्धारित तिथि तक प्रपत्र-ख न जमा करने पर रु0 5,000.00 (पांच हजार) तक अर्थदण्ड देय होगा।

12–रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के मकान-रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद्, पिहानी प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही होगा। बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

13–छूट–स्वामी द्वारा अध्यासित कोई भवन जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित किया गया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक तथा उसके स्वामित्व में नगर पालिका परिषद पिहानी में कोई अन्य भवन न हो गृहकर से मुक्त होगा।

14–प्रपत्र कब-कब भरना होगा–(क) जब कभी भवन स्वामी द्वारा भवन को किराये पर दिया जायेगा या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया जायेगा, इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिर्वतन अथवा परिवर्धन किया जायेगा तो इसके लिये तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भूस्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र-क में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(ग) गलत सूचना देने पर रु0 5,000.00 (पांच हजार) तक अर्थदण्ड देय होगा।

(घ) जिन भवन/भूमि स्वामियों/अध्यासियों द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अहिबरन लाल,
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पिहानी,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई

04 अक्टूबर, 2017 ई0

सं0 23/न0पा0परि0पिहानी/विविधकर शुल्क उपविधि/2017-18—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई की सीमा हेतु ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2017 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली के धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा। दिनांक से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां/सुझाव दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को "अमर उजाला" समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आमंत्रित किये गये थे निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस पालिका मे प्राप्त नही हुआ।

अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्रस्तावित ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017 ''उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017'' न0पा0परि0, पिहानी

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—संक्षिप्त नाम,प्रसार एवं प्रारम्भ—(1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई में प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये—

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई से है।

(3) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्यर्प नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

3—विविध कर(शुल्क) की दरें—(1) नगर पालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई में घरेलू जल उपभोक्ताओं से जल मूल्य रु0 50.00 (पचास) एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं से रु0 100.00 (एक सौ रुपये) मासिक प्रति कनेक्शन।

(2) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रति प्रमाण-पत्र (साधारण) एवं अर्जेन्ट रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रमाण-पत्र।

(3) पानी टैंकर का किराया (नगरपालिका सीमा में वैवाहिक कार्यों हेतु रु0 600.00 (छः सौ रुपये मात्र) प्रति टैंकर एवं नगरपालिका सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(4) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगरपालिका सीमान्तर्गत) रु0 1,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(5) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 200.00 प्रति प्रकरण।

(6) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(7) 40 माईक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलीथीन प्रयोग करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण एवं पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(8) पालिका सीमा में स्थित पैट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

(9) पालिका सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(10) पालिका सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

(11) पालिका सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावासायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(12) पालिका सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा/गाड़ी पर लाइसेंस शुल्क रु0 500.00 (रुपये पांच सौ) वार्षिक।

(13) पालिका सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रुई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) वार्षिक।

(14) पालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर।

(15) पालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 04.00 (चार) प्रति वर्ग मीटर वार्षिक।

(16) गाय/भैंस सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।

(17) पालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के टॉयलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से रु0 3.00 प्रति व्यक्ति एवं बाथरूम प्रयोक्ता यूजर चार्ज से रु0 5.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(18) पालिका सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

(19) छोटी बाउण्ड्री युक्त भूखण्ड या मकानों के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेंकने की दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र)।

(20) मानचित्र शुल्क/मानचित्र एन0ओ0सी0 शुल्क रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार) प्रति मानचित्र लिया जायेगा।

(21) पालिका जे0सी0बी0 किराया रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) प्रति घंटा नगरपालिका सीमान्तर्गत तथा आने जाने का ईंधन व्यय अनुपातिक पृथक् रूप से।

(22) मोबाइल टायलेट किराया रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

(23) पालिका कार्यालय स्थित सामुदायिक भवन किराया रु0 3,000.00 (रुपये तीन हजार मात्र) प्रतिदिन।

(24) नगरपालिका सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क रु0 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) वार्षिक शुल्क।

(25) नगर पालिका परिषद सीमा में संचालित आरा मशीन/आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (रुपये दो हजार मात्र) वार्षिक।

(26) नगरपालिका परिषद सीमा में स्थित डेरी/प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) वार्षिक।

(27) नगरपालिका परिषद सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (रुपये दो हजार मात्र) वार्षिक।

(28) नगरपालिका परिषद् सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) वार्षिक।

(29) नगरपालिका परिषद् सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी/ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) वार्षिक।

(30) नगरपालिका परिषद् सीमा में स्थित समस्त बैंको पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) वार्षिक प्रति शाखा।

(31) नगरपालिका सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) प्रति कनेक्शन।

(32) नगरपालिका सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) प्रति कनेक्शन।

(33) नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) वार्षिक, वित्तीय वर्षान्त के प्रथम मास/अप्रैल तक। तदोपरान्त रु0 500.00 (पांच सौ रुपये मात्र) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

(34) ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये मात्र) वार्षिक, वित्तीय वर्षान्त के प्रथम मास/अप्रैल तक। तदोपरान्त रु0 200.00 (दो सौ रुपये मात्र) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

(35) शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2,000.00 वार्षिक (दो हजार रुपये मात्र)।

(36) देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (छः हजार रुपये मात्र) वार्षिक।

(37) विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 8,000.00 (आठ हजार रुपये मात्र) वार्षिक।

(38) बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (छः हजार रुपये मात्र) वार्षिक।

(39) समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये मात्र) वार्षिक।

(40) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये मात्र) एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) अर्थदण्ड।

नोट–उपरोक्त ''नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविध कर/शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो, तो उस स्थिति में विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017 प्रभावी मानी जायेगी तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त मदों पर व्यावसायिक शुल्क का निर्धारण संशोधित लाइसेंस शुल्क दर उपविधि, 2010 के आधार पर किया जायेगा। उक्त उपविधि में किसी भी प्रकार के संशोधन/अद्यतन करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

अहिबरन लाल,
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद्, पिहानी,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 24/न0पा0परि0पिहानी/उपविधि-नियमावली/2017-2018/2017—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, पिहानी, पोस्टर्स, विज्ञापन, होर्डिंग उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है। जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उनके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित करती है। दिनांक से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां/सुझाव दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को "दैनिक जागरण" समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आमंत्रित किये गये थे निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस पालिका में प्राप्त नहीं हुआ।

अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

पोस्टर्स, विज्ञापन, होर्डिंग विनियमन उपविधि, 2017

1—**शीर्षक**—यह नियमावली नगरपालिका परिषद् पिहानी (विज्ञापन पर कर निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

2—**प्रकति**—यह नियमावली उ0प्र0 साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका की सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) ''नगरपालिका परिषद्'' से तात्पर्य नगरपालिका पिहानी नगर से है।

(च) ''नगरपालिका परिषद् की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य मे बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावित होने वाली सीमा से है।

(छ) विज्ञप्ति/विज्ञापन/होर्डिंग्स जैसे समरूप व पर्यायवाची शब्दों से तात्पर्य समाचार-पत्रों से भिन्न विज्ञापनों से है जो बांस, बल्ली, लोहे के गार्डर या स्ट्रक्चर बनाकर दीवार, खम्भे या पेड़ पर विज्ञापन पट्ट लगाकर/चिपकाकर/लटकाकर प्रदर्शित किये जाएं।

(ज) ''भवन'' से तात्पर्य घर दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण से है। वे किसी भी विधि से बनाई गई हो तथा इसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवारों/घेरा या भवन के किसी भाग से है जिसमें विज्ञापन प्रदशित किया गया हो।

(झ) ''व्यक्ति'' में वे सभी सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये तथा फर्मों या कम्पनी/कम्पनी मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिए विज्ञापन प्रदशित किया गया हो।

4—कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद् पिहानी की सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन पर अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर नियमावली में किया गया है प्रदर्शित करने, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये, बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृत प्राप्त किये न ही लगवायेगा, और न ही लगवाने का अधिकारी है।

5–**अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते–**(क) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण मे अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ग) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति से एक सप्ताह भीतर विज्ञापन को हटा देगे या उसे मिटा देंगे।

(घ) विज्ञापनों से अवस्थापना का कलात्मक सैन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये। किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषेध होगा।

(ङ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से ऐसे भवनों तथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निर्मित अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नही होगी।

(च) विज्ञापनकर्ता को निर्धारित नियमावली का पालन करना होगा।

6–नगरपालिका परिषद्, पिहानी की सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र लिखित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों मे प्रदशित की जाने वाली सामग्री या बनाई जाने वाली तस्वीर की प्रतियां, विज्ञापन का कार्य तथा जिसमें समय के लिये आज्ञा मांगी गई हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्राप्त की जानी चाहिये जो उसने तथा स्थान उपयुक्तता को देखते हुए अशिष्टता उत्तेजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित जांच पड़ताल करके स्वीकृत आवेदन-पत्रों पर स्वीकृत के कारण अंकित किये जायेंगे।

7–निकाय की सीमाओ के भीतर किसी भूमि का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति, अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा।

8–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, वह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित मे रद्द कर दे, या काट दे या रोक दें। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति/अवशेष अनुज्ञा शुल्क वापस नही किया जायेगा।

9–नगरपालिका परिषद्, पिहानी की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा वह उस व्यक्ति के खर्चे पर हटा दे और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म/संस्था से वसूल कर लिया जायेगा जिसके लिए, या जिसका विज्ञापन करने के लिए यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुडवाया जाये तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को इसके लिए सूचना देकर ऐसे विज्ञापन को नीलाम कर सकेंगे।

10–**उपरोक्त नियम 5 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–**(क) ऐसे विज्ञापन को सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थानों के कार्यों हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाये।

(ख) ऐसा साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/मकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) सामाजिक/धार्मिक, प्रशासनिक विज्ञापन।.

11–दर/शुल्क इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा–

1	साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/होर्डिग ग्लो साइन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की ओर से विद्युत प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के माध्यम से प्रकाशित हो दुकानों/प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर उपनियमावली का नाम लिखा हो।	दर रु0 10.00 वर्ग फीट मासिक।
2	वाल पेन्टिग	तदैव
3	ट्री गार्ड	यूनिट रु0 10.00 प्रति।
4	बैनर	यूनिट रु0 08.00 प्रति वर्ग फीट मासिक।

साइन बोर्ड का आकार 10 × 3 वर्गफीट से बड़ा नही होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 21 × 3 वर्ग फीट से अधिक नही होगी तथा सड़क के धरातल से 12 फिट के ऊंचाई से कम पर प्रदर्शित नही किया जायेगा।

12–यदि नगरपालिका यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन उपनियमावली के विरूद्ध है तो नगरपालिका उसे हटा देगी।

13–दुकानों के आगे स्वयं के प्रतिष्ठान के नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर उप नियमावली लागू नही होंगी।

14–किसी प्रकार के विज्ञापन जो नगरपालिका शुल्क जमा कराकर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली है। ऐसा विज्ञापन किसी भी दशा में नही लगवाया जा सकता जिससे आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। दूसरे व्यक्तियों/समुदाय के प्रति घृणा उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसा कोई उद्बोधन करती हो जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता है।

15–नगरपालिका सीमान्तर्गत लगाये गये ट्री गार्ड/नगरीय/शासकीय सम्पत्ति/रेलिंग इत्यादि पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि विज्ञापन सद्भावना पूर्ण आचरण, एवं नैतिकता पूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, पिहानी में निहित होगा।

16–अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, पिहानी में ये अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित उपनियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है।

17–विज्ञापन की अनुज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विज्ञापन की पूर्ण धनराशि के अतिरिक्त रु0 200.00 (दो सौ रुपये) अनुज्ञा शुल्क के रूप में जमा करनी होगी। तथा एक मास से अधिक की अनुज्ञा प्राप्त करने पर न्यूनतम तीन माह का अनुज्ञा शुल्क अग्रिम के रूप में सम्बन्धित द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बकाया धनराशि की वसूली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173-क के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

18–नगरपालिका परिषद पिहानी सीमान्तर्गत विज्ञापनदाता व्यक्तियों/कम्पनियों/संस्थाओं तथा नगरपालिका के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, पिहानी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

19–नगरपालिका/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार द्वारा हटवाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति किसी भी स्थिति में देय न होगी।

20–ग्लो साइन बोर्ड/पेडों/विद्युत पोलो/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नही किये जायेंगे। विचारक पट्ट प्रत्येक खम्भें पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नही लगाये जायेंगे। दो वैनरों के बीच की दूरी एक फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड वैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर की साइज 40 फिट से अधिक नही होगा।

21–उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, पिहानी में निहित है।

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू0 पी0 एक्ट सं0 2, 1916) की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, पिहानी यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड से दंण्डित किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 तक किया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दंण्ड से दंण्डित किया जायेगा। जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये रु0 100.00 एक सौ/प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

अहिबरन लाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, पिहानी,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् पिहानी (हरदोई)

01 सितम्बर, 2014 ई0

सं0 249/न0पा0परि0पिहानी/टावर स्थापना–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया गया था।

प्रस्तावित दिनांक से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां/सुझाव दिनांक 04 सितम्बर, 2014 को "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आमंत्रित किये गये थे निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस पालिका में प्राप्त नहीं हुआ।

अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधि का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि, 2014

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई (टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन) उपविधि, 2014 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद् पिहानी, हरदोई की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(दो) ''टावर'' से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित करने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है,

(तीन) ''सेवाप्रदाता'' से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,

(चार) ''भवन'' के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान, या ढाँचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी मिट्टी, धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों को रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे मकानों की कुर्सियॉ दरवाजे की सीढियां, दीवालें तथा हाते की दीवालें और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।

(पांच) ''भूमि'' के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर भूमि कोई निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बॉधी हुयी वस्तुयें, और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुये हों,

(छ) नगरपालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी, जनपद हरदोई से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये समुनिदेशित हो।

3–**प्रतिषेध–**(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति पालिका की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की कोई अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न तो परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी, संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, और न परिनिर्मित करने देगा, और न खड़ा करने देगा, न गाड़ने देगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नही किया जायेगा, जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4–**अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया**–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विर्निदिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे (धनराशि) भुगतान करके नगरपालिका के कार्यालय से या नगरपालिका की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना, या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना, अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना गणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि, किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊंचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर, एन्टिना की संख्या तथा अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियां अंकित की जायेंगीं।

(8) आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेषन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टिफिकेट (जलचम जमेज बमतजपपिबंजम) की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) उंचे भवनों की दशा में अग्निशमन विभाग से क्लियरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5–**अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–**(1) किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) सेवाप्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा लिया जायेगा।

(ङ) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, परिनिर्मित किये जायेगें, खड़े किये जायेगें, गाड़े जायेगें, चिपकायें जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नही किये जायेंगे।

(च) टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नही डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे।

(ज) ढांचो, अवलम्बों, और पट्टियों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्यूत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस ट्रॉस रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढॉचे की डिजाइन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी.बी.आर.आई रूड़की, आई0आई0टी0, एन0आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियंता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगी।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नही बढेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना, जिस पर प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगें।

(ढ) विमान पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहॉ यह सम्भव न हो वहां यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त) टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मी0 से कम हो) में नही की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नही किये जायेगें।

(द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति टॉवर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी–

क्रमांक	गुणज एण्टीनों की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	3
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथासम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुॅच को समुचित तरीके जैसे कंटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे, अथवा बाउन्ड्री वाल बनवाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिये टावर तक पहुॅचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिससे स्पष्ट रूप में अंकित किया जाये।

[1] विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

[2] प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभागा (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहॉ टावर लगाने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।

(म) जहां इससे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हो वहां अनुमति देय नही होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागो और प्रधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना, मरम्मत या संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्षित नही किया जा सकेगा।

(व) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–**क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र**–प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7–**सम्पत्ति कर का आरोपण**–टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष, या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8–**अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण**–अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

9–**टावर को हटाने की शक्ति**–यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो तो, अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है।

[1] टावर हटाये जाने का व्यय,

[2] ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था, के लिये हुई क्षति की धनराशि।

10–**टावनर पर निर्बन्धन**–किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नही दी जायेगी–

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर

(ग) अन्य मार्गों के यानमार्ग से 10 मीटर के भीतर

(घ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर

(ङ) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(च) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हों,

(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

11–**निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा**–नगरपालिका, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने वा गाड़ने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12–**अनुरक्षण**–(1) सभी टावर जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बंघनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे जो कि ढॉचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अजव्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित पारिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का घ्यान रखे।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

13–**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज माप या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध, के अनुसरण के सहायकों या श्रमिको के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

14–**शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति**–(1) इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा जो नगरपालिका सीमान्तर्गत न्यूनतम रु0 20,000.00 तक प्रति टावर प्रति वर्ष होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कि किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नही दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नही होगा जिनको राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जन सुविधाएं यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यंत्र आदि लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो।

15–**शस्ति और अपराधों का प्रकाशन**–(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 5,000.00 तक हो सकता है और उल्लंधन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है। दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

मूल्य.....

अनुसूची

(नियम 4(1) देखें)

1–आवेदक का नाम.....

2–(एक) अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....

.....

(दो) वेबसाइट (यदि कोई हो).....

3–पता (एक) अभिकरण, प्रतिष्ठान,कम्पनी या संस्था का पता.....

(दो) आवेदक का पता.....

.....

(तीन) दूरभाष संख्या.....

(चार) ई-मेल.....

4–आवेदित टावर का प्रकार.....

5–टावर का आकार (ऊँचाई सहित).....

6–स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति.....

.....

7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी का नाम.....

(एक) स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि चूक की दशा में टावर स्थापना हेतु देय समस्त शुल्कों के भुगतान का दायी होगा ..... संलग्न किया जाये।

(तीन) अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दी गई क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट संलग्न की जाये।

8–निर्धाति वार्षिक शुल्क– रु0.....

9–निर्धारित प्रतिभूति– रु0.....

10–अन्य विवरण.....संलग्नक.....

स्थान.....

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

अहिबरन लाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, पिहानी,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 21/न0पा0परि0पिहानी/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि/2018-2019—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352 सा/2016, नगर विकास अनुभाग-05, दिनांक 29 जून, 2018 में निहित ''उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति'' में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुये तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में ''न0पा0परि0, पिहानी (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2018'', का प्राख्यापन करती है। दिनांक से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां/सुझाव दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को "राष्ट्रीय सहारा" समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आमंत्रित किये गये थे निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस पालिका में प्राप्त नहीं हुआ।

अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—(1) यह उपविधि ''न0पा0परि0, पिहानी (हरदोई) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2018'' के नाम से प्रभावी होगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद, पिहानी, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद, पिहानी की सीमा में प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका, पिहानी के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगरपालिका परिषद्, का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी, जनपद हरदोई की सीमा से है।

(4) अध्यक्ष, का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिहानी के अध्यक्ष से है।

(5) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये समुनिदेशित हों।

6—खुले में कचरा फेंकने, पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने व स्वच्छ वातावरण में व्यवधान—व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादक व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न गाड़ेगा।

नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगह/सड़क/खुले में या जल निकाय या नाला/नाली में कूड़ा/कचरा फैलाने/फेंकने/गाड़ने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क पर यत्र/तत्र थूकने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 एक सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 एक सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में मूत्रत्याग करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 दौ सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 पांच सौ प्रति प्रकरण।

जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पालिका सड़क/फुटपाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर कपड़े धोने या अन्य इसी तरह की गंदगी फैलाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 प्रति प्रकरण।

7—कचरा पृथक्करण, संग्रहण—अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड-घरेलू रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

बल्क जनरेटर रु0 500.00 (पांच सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप में न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रू0 100.00 (एक सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

गार्डेन/बागवानी अपषिष्ट को मानकों के अनुसार पृथक्कीकृत न करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) प्रति प्रकरण।

खाद्य-मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 300.00 (तीन सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

पालतू पशुओं द्वारा नगरपालिका सड़क/नाला/नाली/फुटपाथ पर गंदगी/गोबर करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 500.00 (पांच सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

8—मरे हुये बड़े जानवर (पालतू) उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) प्रति प्रकरण।

9—मरे हुये छोटे जानवर (पालतू) को उठाने पर रु0 500.00 (पांच सौ) प्रति प्रकरण।

10—कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद् को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा। शादी/विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

11—प्रत्येक सड़क/फेरी विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान-हरा एवं नीला पृथक-पृथक अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटेस, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि और इन्हें नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा। विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेहड़ी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक पृथक एकत्रीकरण हेतु डस्टबिन/कूड़ादान नही पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

12—नगरपालिका सीमान्तर्गत खुले में/सार्वजनिक स्थानों पर कूडा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 5,000.00 (पांच हजार) (साधारण क्षति पर) एवं बल्क मात्रा में कूड़ा जलाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार) प्रति प्रकरण।

13—निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलबा निस्तारण शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति वाहन-प्रति प्रकरण।

14—सड़क/फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री-मौरंग, बालू, ईंट, भवन-मलबा, एवं ध्वंसा अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 50,000.00 (पचास हजार) प्रति प्रकरण।

15—नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे, अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सडक के किनारे फुटपाथ पर दुकानो का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

16—डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन, नगरपालिका परिषद, पिहानी द्वारा यूजर चार्ज के रूप में—

घरेलू (50 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 15.00 (पन्द्रह) प्रतिमाह।

घरेलू (50 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 50.00 (पचास) प्रतिमाह।

घरेलू (300 वर्ग मी0 से अधिक के मकानों पर) शुल्क रु0 100.00 (एक सौ) प्रतिमाह।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान-दुकान, ढाबा, स्वीट हाउस, काफी शाप आदि-200.00 (दो सौ रुपये) प्रतिमाह।

गेस्ट हाउस–रु0 500.00 प्रतिमाह।

हास्टल–रु0 400 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (बिना श्रेणी) से-रु0 500 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी तक)–रु0 1,000.00 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी से ऊपर)–रु0 2,000.00 प्रतिमाह।

व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शिक्षण संस्थान–रु0 500.00 मासिक।

क्लीनिक डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी–रु0 3,000.00 (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह।

छोटी एवं घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 (दस) किलोग्राम कचरा उत्पादन पर–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह।

गोदाम, कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा) रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रतिमाह।

मैरिज हाल, फेस्टिवल हाल, मेला एवं प्रदर्शनी 3000 वर्गमी0 तक क्षेत्रफल में–4,000 प्रति कार्यक्रम।

उपरोक्त में अंकन से छूटे हुये अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादक–पालिका अधि0 अधि0 के दिशा निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

17–नगरपालिका परिषद सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालयों प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 02.00 (दो) प्रति एवं टायलेट/शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज रु0 10.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

18–नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमान्तर्गत खुले मे शौच/मल/मूत्र त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति व्यक्ति।

19–नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) देय होगा।

20–शासन द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसरण में नगरपालिका परिषद्, पिहानी सीमान्तर्गत पॉलीथीन बैगों के उत्पादन/विक्रय एवं उपयोग पर रु0 50,000.00 जुर्माना प्रति प्रकरण।

''न0पा0परि0, पिहानी (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2018'' में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा पालिका को समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पालिका में निहित होगा।

अहिबरन लाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपाकिा परिषद्, पिहानी,
हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स जय रोड कैरियर, रेलवे रोड, बुलन्दशहर (उ0प्र0)-203001 की साझीदारी में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री संजय सोलंकी साझीदार थे। दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को श्री अनिल कुमार शर्मा फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री संजय सोलंकी साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
साझीदार,
मेसर्स जय रोड कैरियर,
रेलवे रोड, बुलन्दशहर (उ0प्र0)-203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एबीसी रोड कैरियर, रेलवे रोड, बुलन्दशहर (उ0प्र0)-203001 की साझीदारी में श्री प्रेमपाल सिंह एवं श्री संजीव कुमार साझीदार थे। दिनांक 15 जनवरी, 2021 को श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा श्री प्रेमपाल सिंह फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्री संजीव कुमार एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजीव कुमार,
साझीदार,
मेसर्स एबीसी रोड कैरियर,
रेलवे रोड, बुलन्दहशहर (उ0प्र0)-203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तिवारी फिलिंग स्टेशन, पता-माधौगंज, जिला-हरदोई, जिसका रजि0 नं0 201039, दिनांक 03 मार्च, 2016 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर कमलेश कुमार तिवारी, द्वितीय पार्टनर, हर्ष तिवारी, तृतीय पार्टनर अनूप कुमार तिवारी, चतुर्थ पार्टनर ममता तिवारी साझीदार थे। प्रथम पार्टनर श्री कमलेश कुमार तिवारी का दिनांक 10 मार्च, 2017 में एवं चतुर्थ पार्टनर ममता तिवारी का दिनांक 13 मार्च, 2018 का निधन हो गया है व दिनांक 14 मार्च, 2018 से नये पार्टनर श्री उत्कर्ष तिवारी व अक्षय तिवारी को साझीदारी में सम्मिलित हो गये हैं।

वर्तमान में प्रथम पार्टनर हर्ष तिवारी, द्वितीय पार्टनर अनूप तिवारी, तृतीय पार्टनर उत्कर्ष तिवारी तथा चतुर्थ पार्टनर अक्षय तिवारी साझीदार होंगे।

हर्ष तिवारी,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स, मेसर्स कमल श्री बिल्डर्स पता-सी-9/3, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ, उ0प्र0 विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूं। श्रीमती अनुपमा सिंह पत्नी श्री आर0के0 सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम बक्श सिंह, श्री संजय सिंह पुत्र श्री आर0बी0 सिंह, श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम बक्श सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम बक्श सिंह, श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री राम बक्शसिंह फर्म से 01 फरवरी, 2007 को अलग हो गये हैं। अब इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है एवं फर्म में श्रीमती कमला सिंह पत्नी श्री एस0एन0 सिंह का निधन 28 अगस्त, 2018 को हो गया है जिस कारण अब इस फर्म में 14 के स्थान पर 6 साझेदार रह गये हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में सभी विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

डॉ0 श्री अशोक सिंह,
फर्म-मेसर्स कमल श्री बिल्डर्स,
पता-सी-9/3, रिवर बैंक कालोनी,
लखन, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स निष्ठा फूड्स एफ-34, इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, सिकंदराबाद को साझेदारी में निष्ठा यादव, सुमित बंसल एवं रमा राठौर थे। दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को श्रीमती नीलम तिवारी सम्मिलित हुई हैं तथा दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को श्रीमती निष्ठा यादव फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गयी हैं। अब वर्तमान में फर्म में रमा राठौर, नीलम तिवारी एवं सुमित बंसल साझीदार हैं। आज्ञा से (सुमित बंसल) साझीदार।

सुमित बंसल,
शपथकर्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव पुत्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव था। अजय प्रकाश खरे के साथ विवाह होने के बाद मेरा नाम अर्चना खरे हो गया है। भविष्य में मुझे अर्चना खरे के नाम से ही जाना पहचाना लिखा व समझा जाये।

श्रीमती अर्चना खरे,
पत्नी अजय प्रकाश खरे,
निवासिनी ए-17.2 सरकुलर रोड,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "श्री बालाजी कन्सट्रक्शन" विवेकानन्द कालोनी कैलसा रोड अमरोहा (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को पार्टनर अरूण कुमार पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी मोती नगर, बिजनौर रोड, अमरोहा ने त्याग-पत्र दे दिया है जिनके स्थान पर दिनांक 06 जनवरी, 2021 को भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, विवेकानन्द कालोनी, कैलसा रोड, अमरोहा शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर त्याग-पत्र देने वाले पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर चरन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह रह गये हैं।

चरन सिंह,
"श्री बालाजी कन्सट्रक्शन",
विवेकानन्द कालोनी कैलसा रोड,
अमरोहा (यू0पी0)।

सूचना

फर्म मेसर्स–गरीब नवाज कोल्ड स्टोरेज, सारोटोप, जिला कन्नौज में श्री शमशुल खान पुत्र आलम शेर खान, नि0 अजयपाल कन्नौज, उ0प्र0 एवं श्री नावेद खान पुत्र श्री शमशुल खान, नि0 अजयपाल कन्नौज, उ0प्र0 एवं श्रीमती नवीला खान पत्नी श्री शमशुल खान, नि0 अजयपाल कन्नौज, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को सम्मिलित हो गये हैं।

नफीस अली,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमोद कुमार व प्रमोद कुमार गुप्ता दोनों नाम एक ही व्यक्ति मुझ शपथकर्ता के हैं। अब से मुझे प्रमोद कुमार के नाम से ही जाना व समझा जायें।

प्रमोद कुमार,
पुत्र जगदीश प्रसाद,
नि0 ग्राम कटरा चुनपुजी, रामगंज,
जहानाबाद, तहसील बिन्दकी,
जिला–फतेहपुर, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।